नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या 12/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00168

1. रामचरण पुत्र भौरू (फौत)
   1/1 रामपति पत्नी रामचरण
   1/2 शिम्भूलाल पुत्र रामचरण
   1/3 रामदयाल पुत्र रामचरण
   1/4 मुकेश पुत्र रामचरण
2. शिवचरण पुत्र भौरू
3. चौथी बेवा भौरू (हजफ)

जातियान माली निवासीयान नदी दरबाजा बाहर करौली, तहसील व जिला करौली

अपी0

बनाम

1. ठाकुरजी मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान छगनघाट (सोटन) नदी दरबाजे बाहर करौली जरिये
2. रमेशचंद पुत्र कल्याण प्रसाद
3. बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ
4. विष्णुचन्द पुत्र केदार लाल
5. दिनेशचन्द पुत्र बजरंगलाल
6. प्रदीप पुत्र रूग्गीलाल

} जातियान महाजन निवासी करौली तहसील करौली, जिला करौली

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली मु0न0 20/2014 (602/04) निर्णय दिनांक 13.11.17)

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर 31-8-21

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री नवल किशोर शर्मा
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री श्यामप्रकाश गर्ग

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

1.प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 20/2014 (602/04) निर्णय व डिग्री दिनांक 13.11 2017 न्यायालय उपजिला कलेक्टर करौली के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी की ओर से दावा घोषणा खातेदारी बेदखल व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि ठाकुरजी सीताराम जी विराजमान मन्दिर ठाकुरजी सीताराम जी छगन घाट (सोटन) नदी दरवाजे बाहर करौली शाश्वत नाबालिग है इनकी सेवा, पूजा, रख रखाव की व्यवस्था व [illegible] देखभाल व अन्य कानूनी कार्यवाही हम प्रबन्धक रमेश वगै0 रेस्पो0/वादीगण द्वारा की जाती है। इससे पहले हमारे बुजुर्गान द्वारा की जाती रही है। रेस्पो0/वादी द्वारा ठाकुरजी के हित में यह दावा पेश किया गया। रमेश वगै0 का रेस्पो0/वादी ठाकुर जी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नहीं है। आराजी खं0नं0 3479, 3481, 3483, 3484, 3486, 3487, 3490, ल0 3495 कुल किता 12 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करौली रेस्पो0/वादी के खातेदारी व कब्जे कास्त की स्थित है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से आज तक उक्त आराजीयात के कुल हकूक खातेदारी काश्तकारी रेस्पो0/वादी में वेस्ट करती थी आज भी विवादित आराजीयात से अपी0/प्रतिवादीगण का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार के जमाबंदी में कृषक के कॉलम में अपी0/प्रतिवादीगण के बुजुर्ग बुधु के नाम की खातेदारी दर्ज कर दी है जबकि सैटलमेन्ट विभाग को बिना किसी अदालती आदेश के जमाबंदी में इन्द्राज खातेदारी बदलने का हक नहीं है। रेस्पो0/वादी नाबालिग है और इस गलत इन्द्राज से अपी0/प्रतिवादीगण को कोई हकूक विवादित भूमि में प्राप्त नहीं होते है। दिनांक 25.09.2004 को रेस्पो0/वादी ने ठाकुरजी की ओर से अपी0/प्रतिवादीगण से जमीन पर से कब्जा हटा कर रेस्पो0/वादी को संम्भलाने को कहा तो अपी0/प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और हकूक खातेदारी रेस्पो0/वादी से इंकार करते हुए कहा कि खाता हमारे नाम है हम कब्जा तुम्हे नहीं देंगे और जमीन में खडे पेडों को नष्ट करेंगे व जमीन में निर्माण कार्य करेंगे एवं अन्य लोगो को रहन वय कर देंगे। तब रेस्पो0/वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पो0/वादी की ओर से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर समस्त फर्जीयत का पता0 चला है। अपी0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर बतौर ट्रेसपासर काबिज है। रेस्पो0/वादी विवादित आराजीयात को ठाकुरजी मंदिर के हक में खातेदारी की घोषणा कराने एवं अपी0/प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं रेस्पो0/वादी अपी0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में दावा रेस्पो0/वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो0/वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपी0/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2017 अदालत मातहत उप जिला कलेक्टर करौली खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल होने के कारण लायके मंसूखी है। अदालत मातहत ने पूर्व की अपील में श्रीमान द्वारा रिमाण्ड के ग्राउण्ड पर ना तो पर्याप्त साक्ष्य का मौका दिया ना ही श्रीमान की भावना को समझ कर फैसला किया है। मात्र मंदिर के नाम पर भावनाओ में निर्णय व डिक्री पारित की है, कब्जे के तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है तथा हम अपीलान्ट ने अपना कब्जा रियासत काल का बताया है एवं दावे को मियाद बाहर [illegible] तथा पूर्व के श्रीमन के आदेश की भी मंशा यह ही थी, परन्तु आदालत मातहत ने कब्जे के तथ्य पर गौर नहीं किया ना ही कोई फाइण्डिंग दी है। विवादित आराजीयात मंदिर की काश्त में कभी भी नहीं रही है, न ही मंदिर की ओर से काश्त कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य पेश हुए है। अधिनियम 1955, की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

धारा 183 के दावे में कब्जे के तथ्य को दर्ज करना आवश्यक है तथा दावा अधिनियम 1955, की धारा में मियाद में होना आवश्यक है। मौके पर सैकडो वर्ष पुरानी आबादी बनी हुई है तथा आबादी जिसमें रिहायशी मकानात है को उजाडकर धर्म की भवनाओं की पूर्ति नहीं होती है। हम अपी0 मय गृहस्थी रह रहे है, हमारे बच्चों के सिर छुपाने को भी जगह नहीं है। मंदिर की ओर से दावा करने वालो का कोई सम्बंध ताल्लुक नहीं है। यह हम अपी0 का निजी है जिसे रियासत काल में हमारे बुजुर्गों ने बनवाया। सक्षम होने के कारण रेस्पो0 पंचो ने इसे अपने नाम से जोड लिया है। मात्र पैसा ऐठने व हमारी गृहस्थीयो को बरबाद करने के लिये गलत दावा पेश किया गया है। आज तक भी खातेदारी हम अपी0 के नाम ही है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीयात नम्बर 1,2,3 का फैसला सारहीन एवं गलत आधारों पर पेश किया है तथा मियाद की तनकी कायम ना करने में कानूनी भूल की है तथा मजीद तनकी बनाकर उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया है जिनको नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है एवं प्रतिवादी नम्बर 3 छोटी दिनांक 11.04.2014 को मर गई है तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये वगैर मरी हुई के विरूद्ध डिक्री व निर्णय नल एण्ड बोईड है। अतः अपी0 की अपील स्वीकर फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

31.8.21

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क दिया कि आराजी ख0नं0 3479, 3481, 3483, 3484, 3486, 3487, 3490, ल0 3495 कुल किता 12 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके शहर करौली वादी के खातेदारी व कब्जे कास्त की स्थित है। रेस्पो0 ठाकुरजी सीताराम जी का मंदिर छगन घाट (सोटन) नदी दरवाजे बाहर करौली में है। रेस्पो0 शाश्वत नाबालिग है जिसकी सेवा, पूजा, रख रखाव की व्यवस्था व सम्पत्ति की देख रेख व अन्य कार्यवाही रेस्पो0 द्वारा की जाती है। रेस्पो0 से पूर्व मंदिर की सेवा पूजा, रख रखाव व देखभाल रेस्पो0 के बुजुर्गो द्वारा की जाती थी। रेस्पो0 ने ठाकुरजी सीताराम जी के हित में यह दावा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 का मंदिर के हितो के विपरीत कोई हित नहीं है। विवादित भूमि कस्बा करौली में रेस्पो0 मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सम्वत् 2010 से 13 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 में उक्त भूमि मंदिर के तन्हा खातेदारी की भूमि दर्ज है। अपीलांट का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग ने सम्वत 2015 के वक्त सैटलमेन्ट गलत तरीके स बिना आधार व अनाधिकार के जमाबंदी में कृषक के कॉलम में अपीलांट के बुजुर्ग बुधु के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है। सैटलमेन्ट विभाग को सम्वत 2015 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड इन्द्राज को बदलने का अधिकांर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं है बल्कि पूर्व राजस्व खातेदारी इन्द्राज को रिपीट करने का कर्तव्य है। रेस्पो0 मंदिर ठाकुरजी सीतारामजी शाश्वत नाबालिग है और इस सैटलमेन्ट गलत इन्द्राज से अपी0 को विवादित भूमि में कोई खातेदारी हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। मन्दिर एक नाबालिग संस्था है इसलिए उसकी भूमि को जो कोई काश्त करता है वह उसके हितो की रक्षा करते हुए करता है ना कि उसकी भूमि को ही हडप को, चूंकि ठाकुजी शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं काश्त करने में असमर्थ है इसलिऐ ठाकुरजी की ओर से जो काश्त करेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह ठाकुरजी के अधीन ही काश्त मानी जावेगी उससे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो पर गोर कर प्रकरण में तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का विधि सम्मत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपी0 की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. नकल जमाबंदी(खेवट खतौनी) ग्राम कस्बा करौली चकशर्की तहसील करौली सम्वत् 2010–13 के खतौनी सं. 103 में विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान माफी पुन्यार्थ मंदिर श्री सीताराम जी वाके करौली के नाम अंकित है। मिलान क्षेत्रफल मौजा करौली प्रदर्श–2 तहसील करौली सम्वत् 2015 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से हाल विवादित नम्बर बनना स्पष्ट है। भू–प्रबंधक विभाग राजस्थान के खतौनी बंदोबस्त(जमाबंदी) ग्राम करौली तहसील करौली के क्र.सं. 2118 पर कृषक के कॉलम में विवादित आराजी बुद्धू पुत्र नन्दे कौम माली सा0 देह दर्ज है। यह भूमि इनके नाम किस प्रकार अंकित हुई है इसका कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है जिससे उनका हक सम्वत् 2010 से पूर्व का होना साबित करता है। सम्वत् 2010–13 के जमाबंदी में भूमि मंदिर सीताराम जी की अंकित होना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकी वाद विवेचन व विश्लेषण कर विस्तृत रूप से गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिये अपील खारिज होने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का मु0न0 20/14 (602/2004) डिक्री व निर्णय दिनांक 13.11.17 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal
Raman
Date: 2022.02.28 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner